

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8/ज.स.(नि.)राँची-24/07:-.....राँची, दिनांक:-.....

आदेश

श्री घुरन उराँव, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के पद पर पदस्थापन अवधि में जेनासाई जलाशय योजना के आउटलेटों के पुनर्स्थापन कार्यों में बरती गई अनियमितताओं संबंधी आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या 1684 दिनांक 29.05.10 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री उराँव से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री उराँव से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई।

3. सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री घुरन उराँव, तत्कालीन मुख्य अभियंता को उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है—

(1) श्री उराँव के पेंशन से रुपये 5,20,000/— (पाँच लाख बीस हजार रुपये) की किस्तवार वसूली।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/—

(डॉ. लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-

2978 /राँची, दिनांक:- 4-4-14 /

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/जिला कोषागार पदाधिकारी, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/संयुक्त सचिव (प्रबन्धन), जल संसाधन विभाग, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची/श्री घुरन उराँव, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, हेहल बागीचा टोली, निकट आई.टी.आई., पो.-हेहल, थाना-सुखदेवनगर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ. लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

3/4/14